संख्या-2119/नौ-9-11-09ज/98टी.सी.

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

विषय- उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा बैरियर लगाकर वाहन प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं0-1023/नौ-9- 12-09ज /98टी.सी. दिनांक 12.10.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगरीय निकायों द्वारा नियम विरूद्ध स्थापित बैरियरों पर वाहन प्रवेश/पार्किंग शुल्क की वसूली स्थगित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त स्पष्ट शासनादेश के बावजूद भी नागर निकायों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और बैरियर लगाकर नगरों में प्रवेश करने वाले व गुजरने वाले समस्त वाहनों से प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क की नियम विरूद्ध वसूली किये जाने की शिकायते प्राप्त हो रही हैं। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त नगरीय निकायों द्वारा नियम विरूद्ध स्थापित बैरियरों पर वाहन प्रवेश/पार्किंग शुल्क की वसूली की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से **समाप्त** की जाती है।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–   (1)/नौ–9–2012 तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ ।

2– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 ।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय) ।

4– समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग।

5– बेवमास्टर, कम्प्यूटर सेल को बेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।